

23.6.22

महोदय को पत्रों में उद्देश्य  
 बरकरार रखना. मजबूत सुनी  
 गयी। आगे जाते ही कोर्ट के  
 मर जायेंगे. मजबूत सुनी  
 का प्रेम प्रेमिया कि जायें  
 कोर्ट की सुनवाई में जायेंगी  
 2072-75 खाना रु. 347  
 में जायेंगे का नाम पुष्पकान्त  
 पुत्र गंगाधर उर्फ है।  
 जिसके पुत्र कद व काका चंद्र  
 पुत्र गंगाधर उर्फ उर्फ  
 जायें।

जाका उर्फ व जिसके  
 कद समान दिखते हैं  
 दाहिने गण अन्वय के  
 सिमादा कदमा गया।  
 कोर्ट उद्देश्य नहीं होने  
 के कारण एक प्रतीक  
 करवा सुनी गयी।


पुत्रगण को अन्वय  
 प्रिया। आगे का कदम है  
 कि गांधी को संवत् 2072-  
 75 खाना रु. 347 में जायें  
 का नाम पुष्पकान्त पुत्र  
 गंगाधर उर्फ है, जिसके  
 पुत्र कद व काका चंद्र  
 पुत्र गंगाधर उर्फ प्रिया  
 जायें।

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

यूक में न्यायपालना का मत  
 ठाकुर कुलदे मल्ला का  
 सि. नं. 2072-75 का मत सि.  
 258 में न्यायपालना सि. नं.  
 495 दिनांक 18.8.15 से  
 उच्चतम न्यायालय शुरू किया  
 जा चुका है। लेकिन  
 यह काम शुरू होने  
 से रहा गया।

सुनना गया। इस मामले  
 में अंतर्गत से यह  
 पाया गया कि यूक में  
 भी अंतर्गत से  
 2072-75 में काम।  
 सि. 258 में न्यायपालना  
 सि. 495 दिनांक 18.8.15  
 से यह भी काम शुरू  
 किया है। स्थान पर  
 प-4 का काम शुरू  
 किया गया है।  
 मत: उच्चतम न्यायालय  
 अंतर्गत से सि. नं. 2072-  
 75 का मत सि. नं. 347  
 में शुरू किया जाना  
 विधि संगत है।

  
 उप जिला कलेक्टर  
 बीबी जिला सहायक कोषाध्यक्ष

